FORM No. 123

(Order 24 Rule 07/ Order 32 Rule 03)

न्यायालय – अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–02, किशनगढ़, जिला अजमेर।

Date	Orders with initials of P.O. **पंजाब नेशनल बैंक बनाम घेवरचंद** **दीवानी वाद संख्या – 71/2021(47/2012)** **सीआईएस संख्या – 601/2014**	Brief note of Compliance of Order
28.11.2024	वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। इस आदेश के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 13 नियम 3 सीपीसी व धारा 39 राजस्थान स्टांप अधिनियम वास्ते दस्तोवज साक्ष्य में ग्राह्य होने बाबत का निस्तारण किया जा रहा है। उक्त प्रार्थना पत्र बाबत उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किए कि वादी के द्वारा अपने वादपत्र के मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में दिनांक 17.12.2011 के दस्तावेज का उल्लेख किया है परंतु उक्त दस्तावेज स्टांप पर निष्पादित नहीं है। जबकि वादी के द्वारा वादपत्र के शपथ पत्र में अंकित दस्तोवजों का स्टांप पर निष्पादित होना आवश्यक है। अतः उक्त दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होने से उनपर प्रदर्श अंकित नहीं किए जा सकते। विधिक प्रावधानों के तहत अपर्याप्त स्टांपित दस्तावेजों को पर्याप्त रूप से स्टांपित किए जाने बाबत कलेक्टर मुद्रांक को भेजा जाना आवश्यक है। दस्तावेज को अभिस्वीकृति होना बताया व स्टांपित होना आवश्यक बताया है। अतः उक्त दस्तावेज दिनांक 17.12.2011 साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होने से उस पर प्रदर्श अंकित किए जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अपने पक्ष समर्थन में निम्न न्यायिक–दृष्टांत पेश किए गए – 1 2009 DNJ (SC) 364 2 2014(1) RRT (SC) 224 3 2018(2) CJ (CIV.) (SC) 449 4 2012 (3) DNJ (RAJ.) 1705 5 2014 (1) RRT (RAJ.) 374 उक्त प्रार्थना पत्र का वादी की ओर से लिखित में जवाब प्रस्तुत किया गया। दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने कथन किए कि दिनांक 17.12.2011 का दस्तावेज सुसंगत एवं महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें प्रतिवादी द्वारा वादी बैंक के यहाँ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उनके खिलाफ पुलिस कार्यवाही नहीं करने का निवेदन किया है तथा जो राशि स्वयं द्वारा उपयोग में ले ली गई है वह एक सप्ताह में जमा कराने का भी अंकन किया गया है। जिस पर कोई मुद्रांक शुल्क चस्पा करने का कोई जरूरत नहीं है, यह दस्तोवज एक आवेदन पत्र है। राजस्थान स्टांप अधिनियम, 1998 की धारा 3 के प्रावधान दिनांक 17.12.011 के दस्तोवज पर आकर्षित नहीं होते है। स्टांप अधिनियम की धारा 35 एवं 39 के प्रावधान इस पर आकर्षित नहीं होते है जो उसके द्वारा हस्ताक्षरशुदा दस्तावेज है इसलिए सुसंगत महत्वपूर्ण है। अतः ऐसी स्थिति में प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र मय खर्चे सहित खारिज किए जाने का निवेदन किया गया। उभय पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्तावेज दिनांक 17.12.2011 का भी अवलोकन किया गया।	

प्रतिवादी पक्ष ने जरिये प्रार्थना पत्र दस्तावेज दिनांक 17.12.2011 जो वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया है पर्याप्त रूप से स्टांपित नहीं होने से साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होने का कथन किया है। उक्त दस्तोवज का अवलोकन किया जाए तो उक्त दस्तावेज मण्डल कार्यालय जोधपुर, कैंप किशनगढ़ को जी.सी. बडौला द्वारा लिया गया एक पत्र है जिसमें विषय के रूप में यह अंकित है कि '' शाखा में नकदी जाँच–Cash Shortage'' तत्पश्चात यह अंकित किया गया है कि '' आज दिनांक को शाखा की नगदी एवं एटीएम की जाँच के दौरान क्रमशः रूपये 44,98,200/– एवं 19,50,100/– कम पाए गए। इनमें से नकदी रूपये 34,98,200/– एवं एटीएम की राशि रूपये 19,50,100/– का उपयोग मैने कर लिया है एवं इसकी पूर्ति मैं एक सप्ताह में आवश्यक रूप से कर दूंगा कृपया मेरे विरूद्ध पुलिस कार्यवाही नहीं की जाए। आपकी अति कृपा होगी।'' जिसके पद भाग में यह भी अंकित है कि '' इसके अतिरिक्त मैने बैंक के किसी भी अन्य शीर्ष को नामे लिखकर कोई उपयोग नहीं किया है। यदि ऐसा पाया जाता है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार रहूंगा।'' इस प्रकार से उक्त दस्तावेज का जो प्रारूप है वह आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र के रूप में है जिसमें प्रार्थी ने स्वयं द्वारा राशि का उपयोग किया जाना तथा उसकी पूर्ति करने का कथन करना व उसके विरूद्ध पुलिस कार्यवाही नहीं किए जाने का अंकन किया गया है। उक्त दस्तावेज किसी ऋण की अभिस्वीकृति हो यह तथ्य उक्त दस्तावेज के अवलोकन से प्रथमदृष्टया प्रकट नहीं होता है। प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई तथ्य अंकित नहीं किया है कि उक्त दस्तावेज अभिस्वीकृति की कोटी में आता हो ना ही उक्त दस्तावेज किसी ऋण की अभिस्वीकृति के रूप में दर्शित हुआ है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेज विधिक प्रावधानों के अनुसार स्टांपित होना आवश्यक हो यह तथ्य भी दस्तावेज के अवलोकन से प्रकट नहीं होता है। प्रतिवादी द्वारा जो न्यायिक दृष्टांत पेश किए गए है उक्त न्यायिक दृष्टांत अपंजीकृत विक्रय पत्र, विक्रय करार के संबंध में पेश किए गए है जबकि हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा जिस दस्तावेज को अपर्याप्त रूप से स्टांपित होना बताया है वह विक्रय का इकरार या अपंजीकृत विक्रय पत्र नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर चस्पा नहीं होते है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार दस्तावेज दिनांक 17.12.2011 की प्रकृति आवेदन या प्रार्थना पत्र के रूप में होना प्रथमदृष्टया प्रकट होने से विधिक प्रावधानों के अनुसार उक्त दस्तावेज को स्टांपित किया जाना आवश्यक होना प्रकट नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 29.11.2024 को पेश हो।

(शालिनी शर्मा)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या–02, किशनगढ़, जिला अजमेर।